GCMS – 2017/003199

प्रा.पत्र 75/2017	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज हरलाल vs भूमिधारी	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24/8/21

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मूलाराम पुत्र चीमाराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम मालाराम पुत्र चीमा दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशन कार्ड जिनमें सही नाम है की प्रतियां पेश किये।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम मालाराम पुत्र चीमा अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के पिता का सही नाम मूलाराम पुत्र चीमाराम है की पुष्टि राशन कार्ड जिनमें सही नाम है से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

24/8/21

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गोडावास स्थित भूमि खसरा नं0 664 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मालाराम पुत्र चीमा के स्थान पर मूलाराम पुत्र चीमाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)